

No. 19011/76/2005- MPR
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi, the 30 October 2007

To

1. Secretary (Agriculture)/ Agriculture Production Commissioner,
All State Governments/ Union Territories
2. Director of Agriculture, All State Governments/ Union Territories

Subject: Inclusion of imported Mono Ammonium Phosphate (MAP), grade 11:52:0 and MAP (11:52:0) produced by granulating imported powdered MAP under the Concession Scheme for decontrolled fertilizers— regarding,

Madam/Sir,

I am directed to say that Government of India has decided to include imported MAP (11:52:0) and MAP (11:52:0) granulated out of imported powdered MAP under the Concession Scheme for decontrolled Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers with effect from 1st April 2007 applicable for the period from 1st April 2007 to 31st March 2008.


2) Import of MAP (11:52:0) on Government account would be within the overall ceiling for imported DAP in 2007-08 to the extent of shortfall in availability of DAP. There will, however, be no such restriction on import of MAP (11:52:0) by private importers.

3). The Government of India has decided to fix the Maximum Retail Prices (MRPs) of imported MAP (11:52:0) and MAP (11:52:0) produced by granulating imported powdered MAP at Rs.9350/- per MT with effect from 1st April 2007.

4) Base Concession rates for both imported MAP (11:52:0) and MAP (11:52:0) produced by granulating imported powdered MAP will be Rs. 9398/- per MT for 2007-08. Final Concession rates for both imported MAP (11:52:0) and MAP (11:52:0) produced by granulating imported powdered MAP will be worked out on monthly basis taking into account price of imported MAP (11:52:0) for the preceding month.

- 5) Government of India has also decided that concession payable on imported MAP (11:52:00) and MAP (11:52:0) produced by granulating imported powdered MAP will be capped to that payable on imported DAP.
- 6) It is clarified that no additional Concession/ cost would be reimbursed for processing powdered MAP indigenously for producing granular MAP (11:52:0).
- 7) State Governments/ Union Territory Governments are requested to ensure that the importers/ manufacturers / dealers of MAP (11:52:0) are not allowed to sell MAP (11:52:0) at rates more than the MRP indicated at paragraph 3 above.
- 8) This issues with the approval of the Internal Finance Division of the Department of Fertilizers vide their Dy. No. 2753/AS & FA dated 29 October 2007.

Yours faithfully,



(H. Abbas)

Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 2338 3814

Copy forwarded to:

1. Secretary (Agriculture), Department of Agriculture & Co-operation, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Secretary, Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
3. Joint Secretary (PF-II), Department of Expenditure, North Block, New Delhi
4. ED, FICC, R K Puram, New Delhi.
5. Director (Cabinet), Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
6. Director of Accounts, Udyog Bhawan, New Delhi.
7. Director General, FAI, New Delhi
8. All the manufacturers/ importers of DAP/NPK/MOP/SSP

Copy also to: PS to Minister (C&F and S)/ Sr. PPS to Secretary (F)/ AS&FA/ JS (A&M) / JS (F)/ Dir (M)/ DS (F) / Dir (FA) / Dir (P&I) DS (Fin)/ Controller of Accounts & Pay & Accounts Officers in the Dept. of Fertilizers/ US (MPR) - Guard File/ NIC for uploading on the Department's website.



फा.सं० 19011/76/2005-एमपीआर

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
30 अक्टूबर, 2007

सेवा में,

1. सचिव(कृषि)/कृषि उत्पादन आयुक्त,
सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र
2. कृषि निदेशक, सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र

विषय: नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की रियायत योजना के अंतर्गत आयातित मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी), ग्रेड 11:52:0 तथा पाउडर के रूप में आयातित एमएपी से उत्पादित दानेदार एमएपी (11:52:0) को शामिल करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने 01 अप्रैल, 2007 से नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों की रियायत योजना के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए आयातित एमएपी (11:52:0) तथा पाउडर के रूप में आयातित एमएपी से उत्पादित दानेदार एमएपी (11:52:0) को शामिल करने का निर्णय लिया है।

2. सरकार द्वारा एमएपी (11:52:0) का आयात डीएपी की उपलब्धता में कमी की सीमा तक वर्ष 2007-2008 में आयातित डीएपी की संपूर्ण अधिकतम सीमा के अंतर्गत होगा। तथापि, निजी आयतकों द्वारा एमएपी (11:52:0) का आयात करने पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
3. भारत सरकार ने 01 अप्रैल, 2007 से आयातित एमएपी (11:52:0) तथा पाउडर के रूप में आयातित एमएपी से उत्पादित दानेदार एमएपी (11:52:0) का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 9350/- रुपए प्रति मी.टन निर्धारित किया है।
4. वर्ष 2007-08 के लिए आयातित एमएपी (11:52:0) तथा पाउडर के रूप में आयातित एमएपी से उत्पादित दानेदार एमएपी (11:52:0) दोनों की मूल रियायत दर 9398/-रुपए प्रति मी.टन होगी। आयातित एमएपी (11:52:0) तथा पाउडर के रूप में आयातित एमएपी से उत्पादित दानेदार एमएपी (11:52:0) दोनों की अंतिम रियायत दर को पूर्ववर्ती माह के लिए आयातित एमएपी (11:52:0) के मूल्य को व्याप्ति में रखते हुए मासिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

....कृ.पृ.३.

टूलबाई

5. भारत सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि आयातित एमएपी (11:52:00) तथा पाउडर के रूप में आयातित एमएपी से उत्पादित दानेदार एमएपी (11:52:00) पर देय रियायत को आयातित डीएपी पर देय अनुसार सीमित किया जाएगा।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि दानेदार एमएपी (11:52:0) का उत्पादन करने के लिए पाउडर के रूप में स्वदेशी एमएपी का संसाधित करने हेतु किसी अतिरिक्त रियायत/लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

7. राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि एमएपी (11:52:0) के आयातकों/उत्पादकों/डीलरों को उपर्युक्त पैरा 3 में सूचित एमआरपी से अधिक दरों पर एमएपी (11:52:0) बेचने की अनुमति न दी जाए।

8. इसे उर्वरक विभाग के आंतरिक वित्त प्रभाग के अनुमोदन से उनकी डायरी सं0 2753/एएस एंड एफए दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 द्वारा जारी किया जाता है।

भवदीय,

८३५४४/✓

(एन. अव्यास)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2338 3814

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सचिव(कृषि), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (पीआई-11), व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
5. निदेशक(मंत्रिमंडल), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. लेखा निदेशक, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, एफएआई, नई दिल्ली।
8. डीएपी/एनपीके/एमओपी/एसएसपी के सभी उत्पादक/आयातक

प्रतिलिपि इन्हें भी प्रेषित: मंत्री (रसायन और उर्वरक तथा इस्पात) के निजी सचिव/सचिव(उर्वरक) के वरिष्ठ पीपीएस)/एस एंड एफए/संयुक्त सचिव (एएडाएम)/संयुक्त संचिव(उर्वरक)/ निदेशक(एम)/उप सचिव(उर्वरक)/निदेशक(एफए)/निदेशक(पीएंडआई)/उप सचिव(वित्त)/उर्वरक विभाग में लेखा नियंत्रक और वेतन एवं लेखा अधिकारी/अवर सचिव(एमपीआर) - गार्ड फाइल/ एनआईसी विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

रामलाल